

Filling no. RCS-A/856/2017

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 235 ए/2017

**न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)**

(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

Filling no. RCS-A/856/2017

CNR no. MP30010074652017

सिविल वाद क्रमांक 235 ए/2017

संस्थित दिनांक :-21/12/2017

1. मेघ सिंह पुत्र रामकरन सिंह, उम्र-66 वर्ष,
 2. अशर्फी सिंह पुत्र रामकरन सिंह, उम्र-50 वर्ष,
 3. सुरेन्द्र पुत्र रामकरन सिंह, उम्र-45 वर्ष,
- सभी निवासी-ग्राम मुड़ियाखेड़ा,
परगना व जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....वादीगण/आवेदकगण

// बनाम //

1. प्रहलाद सिंह पुत्र आशाराम, उम्र-70 वर्ष,
निवासी-ग्राम मुड़ियाखेड़ा, परगना व
जिला-भिण्ड (म0प्र0)
2. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....असल प्रतिवादी/अनावेदक

.....तरतीबी प्रतिवादी

वादीगण द्वारा अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सिंह नरवरिया।
प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा श्री हनुमंत बौहरे अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 2 पूर्व से एकपक्षीय।

// आदेश //

(आज दिनांक **26.03.2018** को घोषित)

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 1/17 का निराकरण किया जा रहा है।
2. यह सिविल वाद ग्राम मुड़ियाखेड़ा, परगना व जिला-भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 277 क्षेत्रफल 0.77 हेक्टेयर (एतस्मिन् पश्चात् "विवादित भूमि" से निर्दिष्ट) के 1/2 हिस्से पर स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1988 को अवैध व प्रभावशून्य घोषित किये जाने हेतु संस्थित किया गया है।
3. वादीगण का आवेदन संक्षेप में यह है कि विवादित भूमि का 1/2 भाग वादी के पिता रामकरन पुत्र झण्डू सिंह के स्वत्व व कब्जे की भूमि थी और रामकरन को उक्त भूमि अपने बाबा व पिता से विरासत में प्राप्त हुयी थी। विवादित भूमि संयुक्त परिवार की पैत्रिक सहदायिक सम्पत्ति है, जिस पर सहदायिक होने के नाते अपने

पिता रामकरन की मृत्यु के पश्चात् वादीगण का स्वत्व है और मौके पर वादीगण का ही कब्जा है। वादीगण के पिता रामकरन को अपने पुत्रों के विवाह व अन्य घरेलू खर्चों के लिए रुपये की आवश्यकता थी, इसलिए वादीगण के पिता रामकरन सिंह ने अपने ही गाँव के निवासी प्रतिवादी क्रमांक 1 प्रहलाद सिंह से 88,200/-रुपये का कर्ज दिनांक 03.06.1998 को लिया और उक्त ऋण की प्रतिभूति या जमानत के रूप में वादीगण के पिता रामकरन सिंह ने दिनांक 03.06.1998 को ही प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड बयनामा निष्पादित किया। वास्तव में बयनामा दिनांक 03.06.1998 स्वत्व के अंतरण का दस्तावेज नहीं है, बल्कि उक्त 88,200/-रुपये कर्ज की प्रतिभूति या जमानत का दस्तावेज है और प्रतिभूति के रूप में ही गवाहों के समक्ष बयनामा निष्पादित कर रजिस्ट्रेशन कराया गया था। प्रतिवादी क्रमांक 1 को बयनामा दिनांक 03.06.1998 से कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हुआ, मौके पर कोई स्वत्व या कब्जा अंतरित भी नहीं किया गया और आज भी पूर्वजों के समय से वादीगण ही विवादित भूमि पर काबिज हैं। दिनांक 03.06.1998 को उक्त कर्ज की प्रतिभूति या जमानत के रूप में बयनामा के निष्पादन के समय गवाह व वादीगण के समक्ष यह तय हुआ था कि जब भी रामकरन या उसके वारिस वादीगण 88,200/-रुपये कर्ज की राशि ब्याज सहित प्रतिवादी क्रमांक 1 को अदा कर देंगे तो प्रतिवादी क्रमांक 1 पुनः विवादित भूमि का बयनामा रामकरन अथवा उसके पुत्रों वादीगण के पक्ष में निष्पादित कर देगा, अपने सभी हक त्याग देगा और विवादित भूमि पर स्वत्व व कब्जा रामकरन या उसकी मृत्यु के बाद वादीगण का ही रहेगा।

4. आगे यह भी अभिवचन है कि कथित बयनामा दिनांक 03.06.1998 केवल उक्त कर्ज की प्रतिभूति या जमानत है, मौके पर वादीगण का ही स्वत्व व कब्जा है और बयनामा दिनांक 03.06.1998 वादीगण के स्वत्व के मुकाबले अवैध व प्रभावशून्य है। दिनांक 07.12.2017 को वादीगण ने प्रतिवादी क्रमांक 1 से कहा कि वह मूल ऋण 88,200/-रुपया व ब्याज प्राप्त कर वादीगण के पक्ष में बयनामा कर दे तो प्रतिवादी क्रमांक 1 ने इंकार करते हुए विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने या किसी बाहुबली को विक्रय कर देने की धमकी दी और जब वादीगण ने कथित बयनामा दिनांक 03.06.1998 की नकल प्राप्त की तब पता चला कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के परिवर्णन प्रतिभूति न होकर वास्तव में विवादित भूमि के अंतरण के रूप में लिखे गये हैं। इस प्रकार कथित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1998 धोखा देकर निष्पादित कराया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है, वादीगण के पिता रामकरन की मृत्यु दिनांक 17.10.2007 को हुयी, उनके जीवनकाल में प्रतिवादी क्रमांक 1 हमेशा यह कहता रहा कि जब भी कर्ज की राशि 88,200/-रुपये व ब्याज उसे लौटा दिया जायेगा तो वह प्रतिभूति पत्र दिनांक 03.06.1998 निरस्त करा लेगा परन्तु अब प्रतिवादी क्रमांक 1 अपनी बात से पलट गया है और उक्त तथ्यों के आधार पर सिविल वाद संस्थित किया गया है। प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है,

विवादित भूमि पर वादीगण का ही कब्जा है, वादीगण ही खेती करते हैं और विवादित भूमि के विक्रय की दशा में वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः आवेदन स्वीकार कर वाद के लम्बनकाल तक विवादित भूमि के विक्रय या अन्यथा हस्तांतरण और वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप को निषेधित किया जाये।

5. प्रतिवादी क्रमांक 1 का जवाब संक्षेप में यह है कि उसने विधिवत् पूर्ण प्रतिफल अदा कर विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1998 निष्पादित कराया है और उक्त विक्रय के संव्यवहार के समय से ही विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का कब्जा है। विक्रय पत्र में भी मौके पर विक्रेता रामकरन द्वारा क्रेता प्रतिवादी क्रमांक 1 को कब्जा सौंपे जाने का उल्लेख है, विक्रय पत्र सब रजिस्ट्रार कार्यालय में गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया और वर्ष 1998 से ही प्रतिवादी क्रमांक 1 विवादित भूमि पर खेती कर रहा है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1998 कर्जे की प्रतिभूति का दस्तावेज नहीं है, बल्कि वास्तव में यह विक्रय का विलेख है और प्रतिवादी क्रमांक 1 को विवादित भूमि पर स्वत्व व कब्जा हस्तांतरित हो चुका है। विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1998 के संबंध में वादीगण का यह अभिवचन कि दस्तावेज कर्जे की प्रतिभूति है, झूठा व मनगढ़ंत है और वादीगण के पक्ष में कोई मामला नहीं है। अपने पिता द्वारा किये गये विक्रय के संव्यवहार से वादीगण बंधे हुये हैं, वादीगण के पिता रामकरन द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शून्य कराने की अधिकारिता वादीगण को नहीं है और आवेदन स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाये।

6. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 से 3 :-

7. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि ग्राम मुड़ियाखेड़ा, परगना व जिला भिण्ड स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 277 क्षेत्रफल 0.77 हेक्टेयर के 1/2 अंशभाग के भूमिस्वामी वादीगण के पिता रामकरन पुत्र झण्डू थे।

8. वादपत्र में ही यह अभिवचन है कि वादीगण के पिता रामकरन को अपने पुत्रों के विवाह का कर्ज व अन्य घरेलू खर्च के लिए रुपयों की आवश्यकता थी इसलिए वादीगण के पिता ने अपने ही गाँव के निवासी प्रतिवादी क्रमांक 1 प्रहलाद सिंह से

कर्ज के रूप में 88,200/-रूपये दिनांक 03.06.1998 को प्राप्त किये और उसी दिन उक्त कर्ज की प्रतिभूति या जमानत के रूप में प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में बयनामा निष्पादित कर रजिस्टर्ड करा दिया।

9. वादीगण का यह अभिवचन है कि उनके पिता रामकरन को विवादित भूमि अपने पिता व बाबा से विरासत में प्राप्त हुयी है, इस प्रकार विवादित भूमि संयुक्त परिवार की पैत्रिक व सहदायिकी सम्पत्ति है और सहदायिक के नाते वादीगण का स्वत्व व कब्जा है। सम्पूर्ण वादपत्र में इस सुसंगत तथ्य का कोई अभिवचन नहीं है कि वादीगण के पिता रामकरन के पिता या बाबा का नाम क्या था, उक्त रामकरन के पिता या बाबा की मृत्यु कब हुयी, विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों में कभी भी वादीगण के पिता रामकरन के पिता या बाबा के नाम पर दर्ज रही है या नहीं और इस संबंध में कोई दस्तावेज या राजस्व अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं है जिससे कि यह प्रकट हो कि विवादित भूमि पर उक्त रामकरन के पिता या बाबा का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज रहा है।

10. वर्तमान खसरे में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 277 क्षेत्रफल 0.770 हेक्टेयर के अंशभाग 0.07 पर वादीगण का नाम दर्ज है, शेष अंशभाग 0.35 हेक्टेयर पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम दर्ज है और शेष 0.35 हेक्टेयर पर शारदाचरण पुत्र शिवनारायण का नाम दर्ज है। अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, जिससे कि यह प्रकट हो कि विवादित भूमि पर वादीगण के पिता रामकरन के पहले रामकरन के पिता या बाबा का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज रहा है और उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रथम दृष्ट्या भी यह प्रकट नहीं होता है कि इस मामले में विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिक सम्पत्ति थी।

11. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टान्त रघुनन्दन बनाम कृष्णा बाई व अन्य 2008 (पार्ट-2) एम0पी0डब्ल्यू0एन0 नोट 109 प्रस्तुत कर बलपूर्वक तर्क किया है कि मिताक्षरा विधि की बनारस शाखा में एक सहदायिक अपने अविभक्त हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता है। विधि के उक्त सिद्धान्त पर कोई विवाद नहीं है, किन्तु इस मामले में प्रथम दृष्ट्या भी यह प्रकट नहीं है कि विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिक सम्पत्ति थी और उक्त न्यायदृष्टान्त के तथ्य इस मामले से भिन्न हैं।

12. वादीगण का मुख्य अभिवचन यह है कि विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1998 वास्तव में विक्रय विलेख नहीं है, बल्कि 88,200/-रूपये कर्ज की प्रतिभूति या जमानत के रूप में लिखा गया दस्तावेज है और प्रतिवादी क्रमांक 1 को कोई भी स्वत्व या कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1998 के अवलोकन

से यह प्रकट है कि तत्समय भूमिस्वामी रामकरन पुत्र झण्डू ने विवादित भूमि पर अपने 1/2 भाग में से अंशभाग 0.35 हेक्टेयर प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय कर दिया है।

13. रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 03.06.1998 के परिवर्णन में चतुर्सीमा पूरब में धन सिंह का खेत, पश्चिम में मुंशीलाल का खेत, उत्तर में विक्रय की गयी भूमि का शेष भाग गोपी बगैरह की जगह व दक्षिण में छविराम का खेत लिखा है और विक्रेता रामकरन पुत्र झण्डू द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 को कब्जा सौंपे जाने का स्पष्ट उल्लेख है। राजस्व अभिलेखों में भी प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम दर्ज है, वादीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1998 के बाद भी आगे के कई वर्षों तक राजस्व अभिलेखों में वादीगण के पिता रामकरन या उनकी मृत्यु के बाद वादीगण का नाम दर्ज रहा है।

14. अभिलेख पर प्रस्तुत अभिवचन एवं दस्तावेजों की उक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं पूर्वगामी कारणों से यह प्रकट है कि वादीगण का यह अभिवचन कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1998 कर्जे की प्रतिभूति के रूप में लिखा गया दस्तावेज है, प्रथम दृष्ट्या भी विश्वासयोग्य नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 एवं 92 के अनुसार वादीगण यह मौखिक संविदा साबित नहीं कर सकते हैं कि उनके पिता द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1998 के निष्पादन के समय यह मौखिक करार या संविदा की गयी थी कि कथित कर्जे की राशि 88,200/-रुपये व ब्याज वापस कर देने पर प्रतिवादी क्रमांक 1 पुनः विक्रय पत्र विक्रेता रामकरन या उसके पुत्र वादीगण के पक्ष में निष्पादित कर देगा।

15. वादीगण की ओर से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1998 के गवाहों का कोई शपथपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला भी प्रकट नहीं हो रहा है और सुविधा का संतुलन भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पक्ष में नहीं है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नंबर 1/17 स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाता है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0) (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)